संख्या– 1465 / आठ–5–22–33विविध / 2008

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2022

विषय:– **उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–11 / 2022 / 363–सामान्य / सैंतालीस–का–4–2022–1 / 3 / 96, दिनांक 15.06.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित स्थानान्तरण नीति को उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित संशोधन के साथ अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

"उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जो किसी प्राधिकरण में वर्तमान पद अथवा उसके नीचे के समूह 'क' के पदों पर विभिन्न अवधियों में तैनाती की कुल अवधि के 03 वर्ष तथा समूह 'ख' के ऐसे अधिकारी, जो किसी प्राधिकरण में वर्तमान पद अथवा उसके नीचे के समस्त पदों पर विभिन्न अवधियों में तैनाती की कुल अवधि के 05 वर्ष तथा समूह 'ग' के ऐसे कार्मिक, जो किसी प्राधिकरण में वर्तमान पद अथवा उससे नीचे के समस्त पदों पर विभिन्न अवधियों में तैनाती की कुल अवधि के 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त प्राधिकरण से दूरस्थ स्थानान्तरित कर दिया जाय। जनपद का तात्पर्य संबंधित विकास प्राधिकरण होगा तथा मण्डल की बाध्यता उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के स्थानान्तरण में लागू नहीं होगी।"

2– उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश शासन द्वारा ही निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,
30/6/22

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
विशेष सचिव।

S K Sir-Go-2022